

पप्पु बनाम किट्टू व अन्य

28/2020 (ली. आई.)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
12/08/21		<p>पगावली पेश डी. अधिवक्ता प्राथी उपस्थित। बट्स प्राथीना पग ली. आई. पर सुनी गई। मूलवाद <del>मूलवाद</del> पाकिस्तान सदस्यों के मध्य विधिक विभाजन (भूमि का) से सम्बन्धित है। जिले अन्तर्गत पञ्जाब प्रा. की प्रतिकर के रूप में है। जिले के मध्य में निदमानुसार विधिक प्रक्रिया अन्तर्गत मूलवाद प्राथीक डी. आई. आया है। अतः मूलवाद (विभाजन) के अंतिम निष्पत्ति तक न्यायप्रति में तथा वाद बहुलता के दृष्टिकोण के मध्यनजर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः पूर्व अन्तर्गत आदेश दिनांक 03.09.20 में आदेशिक परिवर्तन करते हुए अप्रपन्न कारण को मूलवाद के अंतिम निष्पत्ति तक भूमि वादग्रस्त के विषय एवं भौका सिद्धि यथावत रखा जाने के बावत अध्याई निदेशावली से पाबन्द किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>पगावली केवल शुमार लेटर दर्ज नम्बर के सम है। वाद नफसील सैलान मूलवाद है।</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

